मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 2—39/2017/1/55 भोपाल, दिनांक 24/05/2018

प्रति,

1. अधिष्ठाता,
   समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
2. अधिष्ठाता, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर।
3. अधीक्षक, मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर।

विषयः— **चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ चिकित्सा शिक्षकों एवं चिकित्सकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधिकार।**

संदर्भः— **सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्र. एफ 6—3—1—3—99 दिनांक 2 अगस्त 1999.**

—0—

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों तथा चिकित्सकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इनके संबंध में भी संभागायुक्तों को सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञाप (प्रतिलिपि संलग्न) के तहत लघु शास्ति अधिरोपित करने, निलंबन करने एवं विभागीय जांच संपन्न करने के अधिकार प्रदत्त हैं।

2. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना के दौरान म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 का नियम 20 लागू होता है। संभागायुक्त उपरोक्तानुसार कार्यवाही महाविद्यालय के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से भी करने के लिए अधिकृत हैं।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला, ग्वालियर में कार्यरत शासन द्वारा नियुक्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के शासकीय सेवकों, जिनमें चिकित्सा शिक्षक एवं चिकित्सक शामिल हैं, के विरूद्ध कार्यवाही महाविद्यालय/संभागायुक्त स्तर पर ही की जाना अपेक्षित है। शासन को विभागीय जांच के उपरांत केवल ऐसे प्रकरण भेजे जावें जिनमें दीर्घ शास्ति आरोपित करना अपेक्षित हो।

24.05.18

(राधेश्याम जुलानिया)
अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृ.क्र. एफ 2—39/2017/1/55 भोपाल, दि. 24.05.2018

प्रतिलिपि—

1. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश।
2. संबंधित संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
आवक क्रमांक [illegible]
दिनांक [illegible]
शाखा का नाम
रिमार्क
डीएमई / सीएमई